# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 19/2019

अनवान :

धर्मचन्द पुत्र श्री नोरंग जाति महाजन निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान

– सायल

बनाम

1. किशन कुमार पुत्र नोरंग जाति महाजन निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान हाल किशन कुमार कलाना वाला की ट्रांसपोर्ट हनुमान मंदिर के पास नई अनाजमण्डी भादरा तहसील भादरा।
2. उप पंजीयक भादरा तहसील भादरा।

– गैरसायलान

**दरख्वास्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955**

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : सायल
वकील श्री पवन सिहाग : गैरसायल सं0 1

निर्णय· दिनांक : 05.08.2019

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक दावा इसी न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 17.06.2016 को बअनुवानी धर्मचन्द बनाम किशन कुमार आदि वाद सं0 606/2013 को निर्णित किया गया था जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय् हनुमानगढ को पेश की गई थी। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 25.07.2018 को राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा इस प्रकार फरमाया गया कि "अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम विभाजन की डिक्री दिनांक 17.06.2016 के अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन अन्तिम विभाजन की डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख की हुई प्रविष्टियों को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए पूनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा में अंतिम डिक्री पारित करें।" उभय पक्ष को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2018 को उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाते है। उक्त राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के पश्चात् इसी न्यायालय में दावा पुनः दर्ज रजिस्टर होकर मुकदमा नम्बर 218/18 दर्ज हुआ जिसमें वादी की ओर से दिनांक 07.09.2018 को वकालतनामा और जबाब उल जवाब दावा जवाब मय काउंटर क्लेम पेश किया गया और रोही मौजा कलाना के खाता सं0 88/191 और खाता सं0 211/191 की जमाबंदिया पेश की गई और अब उक्त दावा आगामी सुनवाई हेतु निश्चित है।

रोही मौजा कलाना के खाता सं0 181/188 पुराना व नये खाता सं0 88/191 और खाता सं0 211/191 के खसरा सं0 43 की 4.0730 है0 और खसरा सं0 119 की 5.7810 है0 कुल दोनों खसरों की 9.8540 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 दोनों सगे भाई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विरासतन है और संयुक्तरूप दोनों के नाम



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

बहिस्सा बराबर दर्ज है वाद भूमि को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य काश्त, लगान आदि को लेकर आपस में वाद विवाद रहता है। जबकि पक्षकारान ने वाहमी बंटवारा कर लिया है। जिसके मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 दोनों खसरों की आधी आधी भूमि अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है।

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के पश्चात् अब अप्रार्थी के मन में लालच आ गया और अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 119 जो गांव की आंबादी के नजदीक है, कीमती भूमि है, उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को बेदखल करने व रहन, बैय व मुन्तकिल करने की बार बार धमकियां दे रहा है और ग्राहक तलाश कर रखे है तथा हरियाणा क्षेत्र के भूमाफिया गिरोह को बार बार मौका पर बुलाता है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 88/191 व 211/191 के खसरा सं0 43 की 4.073 है0 व खसरा सं0 119 की 5.781 है0, कुल 9.854 है0 बारानी में से 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी जो खसरा नं0 119 की कृषि भूमि जो है में प्रार्थी ने अरण्डी बीज रखी थी जो पक कर तैयार हो रखी थी, दिनांक 27.04.2019 को प्रार्थी के काश्तकार को खेत पडौसी सतवीर जाट ने फोन किया कि तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर से अरण्डी की फसल को ट्रैक्टर से कल्टीवेटर से पलट कर नष्ट कर रहे है तो प्रार्थी का काश्तकार मौका पर गया तो देखा गाडूराम पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी कलाना व राजू पुत्र रामेश्वर लाल जाति धाणक निवासी कलाना के ट्रैक्टर शेरसिंह बिजारणिया का था जिसे गाडूराम चला रहा था तथा प्रार्थी का भाई किशन कुमार पुत्र नोरंग जाति महाजन निवासी कलाना मौका पर खड़ा था और जोर जोर से कह रहा था कि अरण्डी की फसल को पलट दो और अरण्डी की फसल को में कल्टीवेटर को चलाकर सफल को नष्ट कर रहा था। अप्रार्थी बिना खाता विभाजन करवाये उक्त खाता सं0 119 में से 4.927 है0 भूमि बेचान कर अन्य लोगों को काबिज बनाने व अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट करने पर आमादा है। जबकि खसरा सं0 119 की कुल 5.7810 है0 में से 1/2 हिस्सा यानि 2.8905 है0 भूमि का प्रार्थी खातेदार है, इसलिए उक्त वाद भूमि को खाता विभाजन करवाने से पूर्व अजनबी लोगों को रहन बैय, मुन्तकिल नहीं करने और प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदालखत बेजा नहीं करने के लिए प्रार्थी अप्रार्थी को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 1 ने जबाब दरख्वास्त पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि वादगत कृषि भूमि का दिनांक 17.06.2016 को कोर्ट कैम्प कलाना में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किया जा चुका था परन्तु सायल ने उक्त निर्णय के करीब दो वर्ष बाद अपील पेश की जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय को अपास्त कर पुनः सुनवाई करने के आदेश दिये परन्तु राजस्व अपील अधिकारी द्वारा कब्जा काश्त बाबत कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय से वादगत कृषि भूमि को संयुक्त खातेदारी दर्ज कर दी गई ऐसी सूरत में सह खातेदार के विरूद्ध कोई भी खातेदार किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने न्यायिक उद्धरण श्रीमती राजरानी शर्मा बनाम गायत्री कुकरेजा व अन्य दिल्ली हाई कोर्ट, आरआरटी2018(2) शक्ति सिंह बनाम हयुमन डेवलोपमेन्ट एज्युकेशन सोयायटी पेज सं. 1370 से 1372 पेश किये व अपनी बहस में कथन किया कि वाद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 दोनों सगे भाई है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि विरासतन है और दोनों भाईयों के नाम संयुक्तरूप से बहिस्सा बराबर दर्ज है वाद भूमि को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य



5.6.19
सहायक कल... र
(फास्ट ट्रेक)भा..

काश्त, लगान आदि को लेकर आपस में वाद विवाद रहता है, इसलिए खाता विभाजन ना हो तब तक रिकार्ड की यथास्थिति हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में टीआई खारिज हुई है, इसलिए द्वितीय आवेदन करना विधि विरूद्ध है। अगर पहले अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज हुआ है तो आगे के न्यायालय में अपील की जा सकती है। सहखातेदार के विरूद्ध दूसरा सहखातेदार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत दरख्वास्त प्रार्थी ने रोही मौजा कलाना के खसरा सं0 181/188 पुराना व नया खाता सं0 88/191 की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु पेश की है। प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दुओं 1. प्रथम दृष्टया मामला 2 सुविधा का सन्तुलन 3 अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रार्थी ने अपने प्रार्थना में अंकित किया है कि वादभूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसकी बाबत पूर्व में वाद सं0 606/2013 बअनुवानी धर्मचन्द बनाम किशन कुमार आदि निर्मित किया गया है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई थी जिसमें अपील अधिकारी महोदय द्वारा अंतिम विभाजन की का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर व राजस्व अभिलेख की हुई प्रविष्टियों को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए उभय पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकार नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा में अंतिम डिक्री पारित करने के आदेश दिये जाकर पत्रावली न्यायालय को प्रेषित की गई थी। जिसके समर्थन में प्रार्थी ने चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कलाना के खाता सं0 88/191 सम्वत् 2074 से 77 व चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कलाना के खाता सं0 211/191 सम्वत् 2074 से 77 पेश की है जिनमें इंतकाल सं0 3016 वाद भूमि प्रार्थी धर्मचन्द व अप्रार्थी सं0 1 किशन कुमार के नाम संयुक्तरूप से दर्ज है। विवादित आराजी जो कि पूर्व में शामिल खाता की थी का जरिऐ आदेश/निर्णय खाता व रिकार्ड अलग–अलग कायम किया गया फिर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय अनुसार न्यायालय हाजा का पूर्व निर्णय अपास्त किया जाकर पून : शामिल खाता में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम की गई है। जिसकी बाबत प्रार्थी ने न्यायिक उद्धरण **श्रीमती राजरानी शर्मा बनाम गायत्री कुकरेजा व अन्य दिल्ली हाई कोर्ट, आरआरटी2018(2) शक्ति सिंह बनाम हयुमन डेवलोपमेन्ट एज्युकेशन सोयायटी पेज सं. 1370 से 1372** जिसमें तृतीय प्रार्थना पत्र पेश करने व खाता विभाजन से पूर्व कृषि भूमि में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखने के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक उद्धरण हस्तगत वाद पर चस्पा होते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी की कृषि भूमि की हद तक साबित है।

2. **सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति** : चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी की कृषि भूमि की हद तक प्रार्थी के पक्ष में बन रहा है। वर्तमान में वाद कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम संयुक्तरूप से दर्ज रिकार्ड है। संयुक्त खाते की कृषि भूमि में यदि अप्रार्थी किसी विशिष्ट भू–भाग को रहन बैय मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थी को असुविधा व अपूर्णिय क्षति होगी व वाद बहुलता की स्थिति पैदा होगी। प्रार्थी ने वाद भूमि की बाबत विवाद की गम्भीरता को दर्शाते हुए गैरसायल व अन्य के



सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107, 116(3) सीआरपीसी के परिवाद की प्रति प्रस्तुत की है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का सन्तुलन 3. अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अत : दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे रोही मौजा कलाना के नये खाता सं0 88/191 और खाता सं0 211/191 के खसरा सं0 43 की 4. 0730 है0 और खसरा सं0 119 की 5.7810 है0 कुल दोनों खसरों की 9.8540 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी की कृषि भूमि की हद तक कृषि भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करे। प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में स्वयं व अपने आदमियों द्वारा मदालखत बेजा नहीं करे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी सं0 2 उप पंजीयक भादरा अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वाद भूमि बाबत प्रस्तुत किये गये किसी दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़